

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू


पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

कदमा नं. 56/2023

सीताराम बनाम तहसीलार वगै०

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप सैनी तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 25.04.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम अशोक नगर तहसील झुन्झुनू के हाल भूमि ख. नं. 98 रकबा 0.45 हे० के राजस्व रिकॉर्ड में भूरी देवी का नाम हजफ किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 को उनके विरासतन हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत की मोहर द्वारा मुर्तिब किया गया।



*(हवाई सिंह यादव)*  
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू  
25/4/25

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	6	स्टाम्प वकालतनामा	1
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	7	योग	1

*(हवाई सिंह यादव)*  
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू  
25/4/25